

पत्रांक-14/ए0एफ0-30/2022-1498

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक-23/09/2022

विषय:- इंदु देवी रंजीत कुमार प्रकाश प्रोफेशनल (संध्याकालीन) कॉलेज काजीपुर, थाथन, हाजीपुर, वैशाली के अस्थायी संबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-बी0/430 दिनांक-14.03.2022 के द्वारा विषयाधीन महाविद्यालय को संबंधन प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। प्रस्ताव के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संबंधित महाविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय परिनियम की कंडिका 15(1) में वर्णित मापदंड के अनुरूप निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं करता है, के आधार पर इंदु देवी रंजीत कुमार प्रकाश प्रोफेशनल (संध्याकालीन) कॉलेज काजीपुर, थाथन, हाजीपुर, वैशाली के मामले में संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21 (2) (d) एवं पत्रांक-1098 दिनांक-19.04.1986 (यथा अद्यतन संशोधित) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृति संसूचित की जाती है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव